

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कुशीनगर, स्थान-पडरौना।

विज्ञप्ति -वास्ते सर्वर मशीन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि एक अदद सर्वर मशीन हेतु Dell /HP Rack Server मय रैक व यू०पी०एस० (2 K.V.A) के साथ हो एवं जिनकी कम से कम तीन वर्ष की ऑन साइट वारन्टी हो, हेतु पंजीकृत व अधिकृत फर्मों से सील बन्द टेण्डर/निविदा दिनांक 31.07.2017 को सायं 03.00 बजे तक आमंत्रित किये जाने हैं, नियत समय के पश्चात प्राप्त टेण्डर/निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त टेण्डर/निविदा उसी दिन सायं समय 4.00 बजे खोले जायेंगे। टेण्डर हेतु धरोहर धनराशि 5000.00 रु. नकद अथवा उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जनपद न्यायाधीश कुशीनगर, के नाम देय है, जो नजारत में जमा करना होगा व टेण्डर स्वीकृत न होने की दशा में उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में वापस कर दिया जायेगा। सर्वर मशीन का विवरण व टेण्डर की नियम व शर्तें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिकारिक वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) तथा जनपद न्यायालय कुशीनगर की अधिकारिक वेबसाइट [www.ecourts.gov.in/kushinagar](http://www.ecourts.gov.in/kushinagar) तथा शासन की अधिकारिक वेबसाइट [www.Kushinagar.nic.in](http://www.Kushinagar.nic.in) पर उपलब्ध हैं। टेण्डर के नियम व शर्तें उपरोक्त वेबसाइट तथा मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी देखी जा सकती है। टेण्डर/निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म टेण्डर की नियम व शर्तों के अनुसार ही अपनी निविदा प्रस्तुत करें।

*Amf 31/7/17*  
(अभिमन्यु सिंह)

सिविल जज (सी.डी.)/  
सहा०नोडल अधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन)  
जजशिप, कुशीनगर स्थान पडरौना।

*Vinay Kumar 31/7/17*  
(विनय कुमार)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-II/  
नोडल अधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन)  
जजशिप, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना पट्ट पर चस्पा करने व वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट [www.allahabadhighcourt.in](http://www.allahabadhighcourt.in) पर अपलोड करवाने हेतु।
2. सिस्टम आफिसर को जनपद न्यायालय कुशीनगर की वेबसाइट [www.ecourts.gov.in/kushinagar](http://www.ecourts.gov.in/kushinagar) पर अपलोड करने हेतु।
3. D.I.O. NIC Kushinagar को शासन की अधिकारिक वेबसाइट [www.Kushinagar.nic.in](http://www.Kushinagar.nic.in) पर अपलोड करने हेतु।
4. जिलासूचना अधिकारी कुशीनगर को स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
4. केन्द्रीय नाजिर को जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थलों व मुख्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

